

फर्द अहकाम

न्यायालय - उपखण्ड अधिकारी जमवारा मंडल (पपकुरा)

रामपाल बनाम राधेश्याम

मुकदमा संख्या/वर्ष : 05 / 2012

क्र.सं०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		<p>अपने पक्षों की वकालत सुनने पर पत्रावली का अध्ययन करने पर प्राथमिकता ने उक्त क्षेत्रों में भूमि विषये रीजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीद किया है। इस-लिए बाद में पक्षकार बनाया जाना न्यायिक में उचित प्रतीत होता है। वही के एक अधिकारों को घोषणा बाद में प्रवाह्य व साक्ष्य-सम्बन्ध के आधार पर तय होता है। इसीलिए प्राथमिकता का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश। तिपण। 0 02 को स्वीकार किया जाता है। चाही वकील संबन्धित आवान पेश करे पत्रावली वाले संबन्धित आवान हेतु दिनांक 24/12/19 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(विश्वामित्र मीना) उपखण्ड अधिकारी जमवारा मंडल</p>
	<p>23/12/19 रामपाल</p> <p><i>(Signature)</i> 23/12/19</p>	<p>प्राथमिकता रामपाल की ओर से पत्रावली का प्रार्थना पत्र पेश होने पर पत्रावली आज पेश हुई। वही रामपाल स्वयं उपस्थित। इसकी पहचान इसके अधिवक्ता श्री रमाशंकर शर्मा ने की। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उक्ति किया कि आप पक्षों में आपस में दिनांक 24/12/19 को राजीनामा हो चुका है। इसीलिए बाद को आवान प्रार्थना पत्र</p> <p style="text-align: right;">(विश्वामित्र मीना) उपखण्ड अधिकारी जमवारा मंडल</p>

फर्द अहकाम

उपखण्ड अधिकारी जमवारागढ़ (उपखण्ड)
 रोमपाल बनाम राधेश्याम को
 संख्या/वर्ष : 08/20/12

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	<p>वाहते हैं विद्वा की स्वीकृति प्रदान की जाकर वाद को उच्च स्तर पर खारिज किया जाके।</p> <p>वादी को सुनाने के पत्रवाली को कानूनी कार्य पर उपयुक्त प्रशिक्षण को विद्वा को स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा वाद को खारिज किया जाता है पत्रवाली को श्रुमार होकर नम्बर से काट हो। वाद उचित कारणों इफ्त हो।</p> <p style="text-align: right;">(विश्वामित्र मीना) उपखण्ड अधिकारी जमवारागढ़</p>	

